

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

उल्लेखीय (एस०) सं०-५५२ वर्ष २०१७

भुस्का किस्कू पे०-स्वर्गीय बुधन किस्कू निवासी ग्राम-तिनघरवा (सुजानी),
डाकघर-कोल्हाबाद, थाना-जसीडीह, जिला-झारखण्ड याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल),
झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-रांची।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग डिवीजन विभाग (पेयजल और
स्वच्छता प्रमंडल), डाकघर एवं थाना-देवघर, जिला-देवघर, झारखण्ड।
4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग डिवीजन विभाग (पेयजल और
स्वच्छता प्रमंडल), डाकघर एवं थाना-देवघर, जिला-देवघर, झारखण्ड।
5. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग डिवीजन विभाग (पेयजल और
स्वच्छता प्रमंडल), डाकघर एवं थाना-देवघर, जिला-देवघर, झारखण्ड।
6. सहायक अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग डिवीजन विभाग (पेयजल और
स्वच्छता प्रमंडल), डाकघर एवं थाना-देवघर, जिला-देवघर, झारखण्ड।

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए:- सुश्री श्रुति श्रेष्ठ, ए०जी० का जे०सी०

06 / 03.05.2017 रिट याचिका में याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी तिथि से हैंड पंप खलासी के रूप में नियमित करने के लिए प्रार्थना की गई है।

2. एक इंगित प्रश्न जो याचिकाकर्ता ने किया है कि क्या हैंड पंप खलासी का स्वीकृत है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता नकारात्मक में जवाब देते हैं। जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं ने एक विशिष्ट रूख अपनाया है कि मधुपुर के पेयजल और स्वच्छता डिविजन में ट्यूबवेल खलासी का कोई पद सूजित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को शुरू में वर्ष 1984 में हाथ रसीद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद वह 1993 से मस्टर रोल कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसे उस पद के लिए सबसे कम वेतनमान का भुगतान किया गया है जिस पर उसने मस्टर रोल पर जारी रखा। उन्हें ग्रेड पे ₹0 1300/- के साथ ₹0 4400/- का वेतनमान दिया गया है, जिसे बाद में ग्रेड पे ₹0 1650/- में संशोधित किया गया है।

3. एक गैरी मौजूद पद पर नियमितीकरण के लिए किए गए प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिट याचिका खारिज किया जाता है, हालांकि, याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है यदि वह पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्यायाल)